प्रकाशन हेतु अनुमोदित

छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय, बिलासपुर (छ. ग)

/ सिविल पुनरीक्षण क्रमांक 43/2005 /

आवेदक	नेशनल इंश्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड
अनावेदक क्रमांक–3	द्वारा – शाखा प्रबंधक,
	ताहा–काम्पलैक्स,
	रिंग रोड नम्बर–2, प्रियदर्शनी नगर बिलासपुर,
	तहसील व जिला बिलासपुर

विरुद्ध –

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

अनावेदक–गण	1. रामप्रसाद आत्मज धनीराम
आवेदक	आयु 20 साल, निवासी ग्राम बलौदा तहसील
	चांपा जिला जाजंगीर – चांपा
अनावेदक–गण	2. रामकुमार आत्मज गैन्दराम
अनावेदक क्रमांक । तथा 2	आयु 32 साल, ग्राम सीपत तहसील सीपत
	जिला बिलासपुर (छ ग)।
	3. श्रवण कुमार कौशिक
	आत्मज स्व० सहसराम कौशिक
	ग्राम ठरकपुर
	तहसील सीपत, जिला बिलासपुर (छ. ग)

सिविल पुनरीक्षण अन्तर्गत धारा 115 व्यवहार प्रक्रिया संहिता

13–6–2005

श्री श्री कुमार अग्रवाल, वरिष्ठ अधिवक्ता, सहित अली असगर, अधिवक्ता वास्ते आवेदक नेशनल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड ।
अनावेदक–गण के लिए कोई नहीं.

ग्राह्यता पर सुना गया,

अष्टम अतिरिक्त, मोटर दुर्घटना दावा अधिकरण, बिलासपुर ने दिनांक 27–1–2005 के अधिनिर्णय के तहत दावा प्रकरण क्रमांक 84/2004 में आवेदक नेशनल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड एवं अन्य के विरुद्ध दावेदार राम प्रसाद के पक्ष में 8,000/– रूपये का प्रतिकर दिया तथा उक्त अधि–निर्णय को आवेदक द्वारा इस पुनरीक्षण में चुनौती दी गई है।

आवेदक ने तर्क दिया कि, आक्षेपित आदेश के द्वारा दावा न्यायाधिकरण ने 10,000/– रुपये से कम प्रतिकर दिया है और मोटर वाहन अधिनियम, 1988 के तहत अपील वर्जित है, इसलिए, उन्होंने अधिनिर्णय के विरुद्ध सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 की धारा 115 के तहत यह पुनरीक्षण पेश किया है। सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 की धारा 115(1) का संबंधित भाग इस प्रकार है:

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

115. **पुनरीक्षण**.(1) "उच्च न्यायालय अभिलेख मांग सकता है,किसी ऐसे मामले का, जिसका विनिश्चय ऐसे उच्च न्यायालय के अधीनस्थ किसी न्यायालय द्वारा किया गया हो और जिसमें कोई अपील नहीं हो सकती, और यदि ऐसा अधीनस्थ न्यायालय – "न्यायालयों की अधीनता को सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 की धारा 3 के अंतर्गत परिभाषित किया गया है, जो इस प्रकार है: –

3. न्यायालयों की अधीनस्थता.– "इस संहिता के प्रयोजनों के लिए, जिला न्यायालय उच्च न्यायालय के अधीनस्थ है, और जिला न्यायालय से अवर श्रेणी का हर सिविल न्यायालय तथा प्रत्येक लघुवाद न्यायालय उच्च न्यायालय और जिला न्यायालय के अधीनस्थ है।"

उपरोक्त दोनों प्रावधानों को पढ़ने से पता चलता है कि उच्च न्यायालय सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 की धारा 115 के तहत पुनरीक्षण क्षेत्राधिकार का प्रयोग तभी कर सकता है जब वह आदेश जिसे चुनौती दी गई है व्यवहार न्यायालय या लघु वाद न्यायालय द्वारा पारित किया गया हो।

मोटर वाहन अधिनियम, 1988 की धारा 165 के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्य सरकार द्वारा दावा न्यायाधिकरणों का गठन किया गया है। मोटर वाहन अधिनियम, 1988 के अध्याय XII में दावा न्यायाधिकरणों द्वारा अपनाई जाने वाली प्रक्रिया का भी वर्णन किया गया है और दावा न्यायाधिकरणों द्वारा पारित अधिनिर्णय के विरुद्ध अपील के प्रावधान भी दिए गए हैं, न तो दावा न्यायाधिकरणों को मोटर वाहन अधिनियम, 1988 के किसी भी प्रावधान के तहत व्यवहार न्यायालय घोषित किया गया है और न ही उक्त अधिनियम उच्च न्यायालय को धारा 165 के तहत अधिकारिता का प्रयोग करने का अधिकार देता है। मोटर दुर्घटना दावा अधिकरण द्वारा पारित किसी भी अधिनिर्णय के विरुद्ध व्यवहार प्रक्रिया संहिता, 1908 की धारा 115 के अंतर्गत कोई प्रावधान नहीं है। यहां तक कि राज्य सरकार, जिसे नियम बनाने का अधिकार है, ने भी नियम बना लिए हैं, लेकिन उसने दावा अधिकरण द्वारा पारित किसी भी अधिनिर्णय पर सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 की धारा 115 को लागू नहीं किया है, तथा मोटर दुर्घटना दावा अधिकरण पर लागू सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 के केवल प्रावधानों का ही वर्णन मध्य प्रदेश मोटर वाहन नियम, 1994 के नियम 240 में किया गया है। उक्त नियम का नियम 240 इस प्रकार है:–

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

<u>240. जांच करने में दावा अधिकरण द्वारा अपनाई जाने वाली प्रक्रिया –</u>

"सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 के कुछ प्रावधानों का अनुप्रयोग; अधिनियम या इन नियमों में अन्यथा स्पष्ट रूप से प्रदान किए गए को छोड़कर, सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 (1908 का V) की प्रथम अनुसूची के निम्नलिखित प्रावधान अर्थात् आदेश V, नियम 9 से 13 और 15 से 20, आदेश IX, आदेश XVIII, नियम 3 से 10, आदेश XVI, नियम 2 से 21, आदेश XVII, आदेश XXI और आदेश XXIII, नियम 1 से 3 में निहित प्रावधान, दावा

न्यायाधिकरण के समक्ष कार्यवाही पर लागू होंगे, जहां तक वे उस पर लागू हो सकते हैं।"

मोटर दुर्घटना दावा न्यायाधिकरण द्वारा पारित 10,000/– रुपये से कम के अधिनिर्णय के विरुद्ध अपील वर्जित है, लेकिन मोटर वाहन अधिनियम, 1988 या उसके अंतर्गत बनाए गए नियम, 1994 के अंतर्गत, न तो ऐसे अधिनिर्णय के विरुद्ध पुनरीक्षण की शक्ति उच्च न्यायालय को प्रदान की गई है और न ही उक्त प्रावधान को दावा प्रकरणों पर लागू किया गया है। मोटर दुर्घटना दावा अधिकरणों की स्थापना मोटर वाहन अधिनियम, 1988 के विशिष्ट प्रावधानों के अंतर्गत की गई है और उक्त अधिकरणों को सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 की धारा 115 के प्रयोजनों के लिए उच्च न्यायालय के अधीनस्थ न्यायालय घोषित नहीं किया गया है और सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 की धारा 3 के अनुसार उक्त अधिकरण व्यवहार प्रक्रिया संहिता, 1908 के प्रयोजनों के लिए न्यायालयों की श्रेणी में नहीं आते हैं।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

उपर्युक्त चर्चाओं से यह अधिनिर्धारित किया जाता है कि मोटर दुर्घटना दावा अधिकरण सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 की धारा 115 के प्रयोजनों के लिए उच्च न्यायालय के अधीनस्थ न्यायालय नहीं हैं, इसलिए अधिकरण द्वारा पारित आक्षेपित अधिनिर्णय, यद्यपि अपील योग्य नहीं है, लेकिन सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 की धारा 115 के तहत पुनरीक्षण क्षेत्राधिकार अंतर्गत विचारणीय नहीं होगा।

तदनुसार, पुनरीक्षण मान्य नहीं है, इसलिए इसे आरंभ मे ही खारिज किया जाता है। आवेदक को यदि सलाह दी जाए तो वह कानून के तहत उपलब्ध उचित उपचार अपना सकता है।

सही /–
विजय कुमार श्रीवास्तव
न्यायाधीश

अस्वीकरणः हिन्दी भाषा में निर्णय का अनुवाद पक्षकारों के सीमित प्रयोग हेतु किया गया है ताकि वो अपनी भाषा में इसे समझ सकें एवं यह किसी अन्य प्रयोजन हेतु प्रयोग नहीं किया जाएगा । समस्त कार्यालयीन एवं व्यवहारिक प्रयोजनों हेतु **निर्णय का अंग्रेजी स्वरुप ही अभिप्रमाणित माना जाएगा और कार्यान्वयन तथा लागू किए जाने हेतु उसे ही वरीयता दी जाएगी।**

Translated By VIRENDRA VERMA

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur